वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष–2015–16

नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

विषय सूची

भाग प्रथम

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1—	प्रारम्भिक	01
2—	प्रशासन	01
3—	सम्परीक्षण	01
4—	अनिस्तारित आडिट आपत्तियाँ	02
5—	सामान्य त्रुटियों का विवरण	02—03

भाग द्वितीय

6—	वित्तीय वर्ष 2015—16 में प्राप्त एवं निस्तारित पेंशन एवं उपादान सम्बन्धित विषयों की समीक्षा	03—04
7—	नगर निगम की वित्तीय स्थिति (2015—2016)	05—06
8—	वर्ष 2015—16 के आय एवं व्यय पक्ष के लेखों पर सम्परीक्षण टिप्पणी	07—11
9—	विशेष एवं साधारण आपत्तियाँ	11
10—	नगर निगम की अधिनियम की धारा 144(1) का उल्लंघन	11
11—	साधारण आपत्तियाँ एवं पत्र	12—36
12—	विशेष आपत्तियाँ	37
13—	उपसंहार	38

Scanned by CamScanner

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष, 2015–16

(1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक)

भाग प्रथम

(इस भाग में लेखा नियम 77 के अनुसार अनिरस्तारित विशेष एवं साधारण आपत्तियाँ, प्राविधिक अनियमितताये एवं त्रुटियाँ तथा सामान्य प्रशासन का उल्लेख है।)

1–प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–2016 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दो भागों यथा–(1) अनिस्तारित आपत्तियों की अद्यावधिक सूची, प्राविधिक त्रुटियों एवं अनियमितताओं का वर्णन तथा (2) मासिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित विशेष एवं साधारण आपत्तियों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2–प्रशासन

प्रतिवेदित वर्ष 2015–16 में **डा0 दिनेश शर्मा**, मेयर एवं **श्री उदय राज सिंह**, नगर आयुक्त सम्पूर्ण वर्ष तक कार्यरत रहे।

3–सम्परीक्षण

(1) प्रतिवेदित वर्ष 2015–2016 में **श्री राम प्रसाद**, सम्पूर्ण वर्ष तक मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत रहे।

(2) प्रतिवेदित वर्ष 2015–2016 में **श्री विवेक सिंह**, सम्पूर्ण वर्ष तक तथा **श्री अमित भार्गव**, सम्पूर्ण वर्ष तक ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत रहे।

21.01.17

Scanned by CamScanner

4-अनिस्तारित आडिट आपत्तियाँ-

विभागाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारी अपने विभाग के लेखों का परीक्षण कराने में समुचित सहयोग प्रदान नहीं करते है, परीक्षण के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करना एवं परीक्षण से बचने का प्रयास करते रहते है। यही नहीं परीक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देने तथा उनका निराकरण कराने में कोई रूचि नहीं लेते है जो लेखा नियमावली के नियम 76 का स्पष्ट उल्लंघन है यही दशा प्रतिवेदित वर्ष में भी बनी रही। परिणाम स्वरूप अनिष्पादित आपत्तियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गयी।

5-सामान्य त्रुटियों का विवरण.

वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आय-व्यय के लेखा परीक्षण के समय निम्नलिखित त्रुटियाँ अधिकांशतः समस्त विभागों में पायी गयीः-

(क) प्रायः पेंशन पत्रावलियों में संलग्न अदेय प्रमाण पत्रों पर पदाधिकारियों के नाम, पद नाम एवं मुहर आदि अंकित नहीं किये जाते है।

(ख) लेखा नियम 6 की अवहेलनाः- लेखा नियमावली के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक अशुद्ध एवं अपरलेखन को उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं पाया गया। अधिकृत सत्यापन के अभाव में किया गया अपर लेखन एवं अशुद्ध लेखन पूर्णतः वर्जित है। उक्त अशुद्ध लेखन से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रायः कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अपर लेखन किया जाता है एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है।

(ग) अधिकांशतः विभागों द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जाता है। सेवा पुस्तिकाओं में कर्मचारी के सेवावृत्त का पूर्ण उल्लेख नहीं पाया गया। कतिपय मामलो में कई वर्षों के सेवावृत्त की प्रविष्टियाँ अंकित नहीं पायी गयी। प्रायः सेवा पुस्तिकाओं में छठवें वेतनमान निर्धारण की प्रविष्टियाँ त्रुटिपूर्ण पायी गयीं। सेवा पुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टियाँ प्रायः सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं पायी गयीं।

(घ) लेखा नियमावली के नियम 89 के अन्तर्गत लेखा विभाग द्वारा मासिक आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अधिनियम की धारा 142 के अधीन उसका लेखा परीक्षण भी नहीं किया जा सका।

(च) प्रायः पेंशन पत्रावलियों में कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियाँ संलग्न नहीं की गयी, फलस्वरूप सेवा-पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों का सत्यापन न किया

21.01.17

Scanned by CamScanner

जा सका। प्रायः मृतक कर्मचारियों की पेंशन पत्रावलियों में व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिकायें संलग्न नहीं पायी गयी। सम्बन्धित विभाग एवं लेखा विभाग द्वारा उक्त पत्रावलियों में यह इंगित किया गया कि काफी ढूढ़ने के पश्चात भी व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा–पुस्तिका मिल न सकी। अभिलेखों का इस प्रकार खो जाना एक गम्भीर प्रकरण है। भविष्य में नगर निगम प्रशासन द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव हेतु उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(छ) प्रायः पारिवारिक पेंशन पत्रावलियों में कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में भरे गये नामिनेशन फार्म/डिक्लेरेशन प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये, फलस्वरूप लाभग्राही की वास्तविक स्थिति का सत्यापन न किया जा सका।

भाग–द्वितीय
(वित्तीय वर्ष 2015–2016 का लेखा परीक्षण)

6– <u>वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त एवं निरतारित पेंशन एवं उपादान सम्बन्धित विषयों की समीक्षा:–</u> वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 536 पेंशन, पुनरीक्षित पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपादान के मामले लेखा विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा लेखा परीक्षण में भेजे गये समस्त 536 पेंशन एवं उपादान विषयों में से 316 विषयों का अन्तिम रूप से निष्पादन किया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रू0 76,11,186.48 पैसे (रू0 छियत्तर लाख ग्यारह हजार एक सौ छियासी पैसे अड़तालीस मात्र) त्रुटिपूर्ण ढंग से अधिक भुगतान की वसूली सम्परीक्षा द्वारा करायी गयी तथा 220 मामलों के लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत आपत्तियों से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को अवगत कराया गया। पेंशन एवं उपादान के विषयों को निरतारित करते समय लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कठिनाईयाँ सामने आयीं।

(1) विभागों द्वारा भेजी गयी पत्रावलियाँ अपूर्ण पायी गयीं। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षण में पत्रावलियाँ भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भेजी जाने वाली पत्रावलियों में सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न है अथवा नहीं, किन्तु लेखा विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप, अपूर्ण पत्रावलियाँ ही लेखा परीक्षण हेतु भेजी जाती रहीं।

Scanned by CamScanner

(2) पेंशन पत्रावलियों में वेतन तालिकायें अधिकांशतः त्रुटिपूर्ण पायी गई। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हे किस आधार पर तैयार किया गया। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि वह उन तालिकाओं का मिलान मूल देयकों से करने के उपरान्त उस पर यह टिप्पणी अंकित करें कि वेतन तालिका का मिलान मूल वेतन देयकों से कर लिया गया है तथा शुद्ध पाया गया।

(3) लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत अनियमितताओं से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को अवगत कराया गया। अधिकांश पत्रावलियों पर बार-बार आपत्तियाँ इंगित करने पर भी उनका निस्तारण नहीं किया गया। लेखा विभाग का दायित्व है कि वह उठाई गई आपत्तियों के पूर्ण निस्तारण करवाने के पश्चात ही जाचोंपरान्त पत्रावलियों को लेखा परीक्षण में भेजे किन्तु लेखा विभाग द्वारा इसका पालन नहीं किया गया और पत्रावलियों को बिना जाचें ही लेखा परीक्षण में भेज दिया गया।

(4) पूर्व वर्णित कठिनाइयों के कारण पेंशन निस्तारण के कार्य में शीघ्रता होना संभव नहीं हो पाता। यह सत्य है कि सम्बन्धित विभाग तथा लेखा विभाग द्वारा यदि पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाय तो पेंशन एवं उपादान के मामलों के निस्तारण में शीघ्रता संभव है एवं सेवा निवृत्त तिथि को ही कर्मचारी को समस्त लाभ प्रदान किये जा सकें।

(5) पेंशन पत्रावलियों में छठवें वेतनमान से सम्बन्धित ए0सी0पी0 का निर्धारण अधिकांश पत्रावलियों में त्रुटिपूर्ण पाया गया। लेखा विभाग द्वारा ए0सी0पी0 निर्धारण की जॉच किये बिना ही पेंशन पत्रावलियाँ सम्परीक्षण हेतु भेजी गयी, फलस्वरूप कतिपय पेंशन पत्रावलियों में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।

24-9-17

Scanned by CamScanner

7-नगर निगम की वित्तीय स्थिति वर्ष 2015-16

वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रारम्भिक अवशेष रू0 28,873.79 लाख

आय:-

	प्राविधानित आय	वास्तविक आय
राजस्व लेखा-	रू0 81,195.00 लाख	रू0 55,995.13 लाख
पूंजी लेखा-	रू0 55,915.00 लाख	(पुन0 बजट 15-16 से) रू0 34,993.36 लाख
उच्चंत लेखा-	रू0 522.00 लाख	रू0 1021.42 लाख
योग:-	रू0 1,37,632.00 लाख	रू0 92,009.91 लाख

उपरोक्त आय (विभिन्न लेखों में) नगर निगम, लखनऊ के वार्षिक बजट (पुनरीक्षित) 2015-16 में उल्लिखित है एवं दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03. 2015 तक की वास्तविक आय का उल्लेख किया गया है।

व्यय:-

	प्राविधानित व्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व लेखा-	रू0 72,750.05 लाख	रू0 58,235.89 लाख
पूंजी लेखा-	रू0 55,915.00 लाख	रू0 66893.57 लाख
उच्चंत लेखा-	रू0 671.00 लाख	रू0 765.87 लाख
योग:-	रू0 1,29,336.05 लाख	रू0 12,58,95.35 लाख

(हस्ताक्षर) 2.01.17

उपरोक्त व्यय (विभिन्न मदों में) नगर निगम के वार्षिक बजट 2015–16 में उल्लिखित है एवं दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक के किये गये वास्तविक व्यय का उल्लेख किया गया है।

रोकडबही का अन्तिम अवशेष दिनांक 31–03–2016 को लेखा विभाग द्वारा प्राप्त कराया गया। उक्त प्राप्त अवशेष में दिनांक 31.03.2016 तक का कुल अन्तिम अवशेष रू0 6,03,40,97,468.89 पैसे है।

Scanned by CamScanner

8-वर्ष 2015-16 के आय एवं व्यय पक्ष के लेखों पर सम्परीक्षण टिप्पणी

आय पक्ष

(क) राजस्व लेखा

वर्ष 2015-16 के वार्षिक बजट के अवलोकन से विदित हुआ कि वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित कतिपय मदों में अपेक्षाकृत कम आय हुई।

शीर्ष संख्या	विवरण	बजट प्राविधान (2015-16)	वर्ष 2013-14 में प्राप्त आय	वर्ष 2014-15 में प्राप्त आय
क 1-1	सामान्य कर (गृहकर)	रु0 20,000.00 लाख	रु0 10798.42 लाख	रु0 13014.24 लाख
क 1-9	विज्ञापनों पर कर	रु0 800.00 लाख	रु0 320.90 लाख	रु0 518.52 लाख
क 2-13	पार्किंग ठेकों से आय	रु0 700.00 लाख	रु0 390.13 लाख	रु0 249.62 लाख
क 2-17	यूजर चार्जेज	रु0 1000.00 लाख	रु0 313.34	रु0 104.13 लाख
क 2-22	निगम की सम्पत्ति क्षति के लिए प्रतिकर (रोड कटिंग)	रु0 1500.00 लाख	रु0 327.14 लाख	रु0 424.78 लाख
क 2-23	विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के योजना हस्तान्तरण	रु0 200.00 लाख	अप्राप्त	अप्राप्त

31.01.17

Scanned by CamScanner

	एवं अन्य से आय			
क–7 (क)	सामान्य प्रयोजनों के लिए (राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत शासकीय अंशदान)	रू0 45,000.00 लाख	रू0 32751.84 लाख	रू0 28947.37 लाख
क 9(2)	(केबिल,भट्टा, शराब, मर्सिंग होम,टेण्डर फार्म, जन्म मृत्यु प्रमाण–पत्र)	रू0 1000.00 लाख	रू0 1243.21 लाख	रू0 703.76 लाख

21.6.17

Scanned by CamScanner

टिप्पणी–

पुनरीक्षित बजट 2015–16 में दिनांक 31.08.2015 तक प्राप्त आय (विभिन्न मदों से) दर्शायी गयी है, जबकि पुनरीक्षित बजट 2014–15 में दिनांक 31.10.2014 तक प्राप्त आय दर्शायी गयी है। अतः समान अवधि न होने के कारण तुलनात्मक अध्ययन सम्भव नहीं है।

1–उक्त शीर्षक संख्या–क 1–1–सामान्य कर (गृहकर) के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में लगभग 20% सामान्य कर (गृहकर) की वृद्धि हुई किन्तु प्राक्षानित बजट रू0 16,000 लाख के सापेक्ष लगभग 28% कम आय प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि सामान्य कर (गृह कर) में वृद्धि हेतु समुचित प्रयास आवश्यक है।

2–उक्त शीर्षक संख्या–क–1–9–विज्ञापनों पर कर के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में लगभग 51% वृद्धि हुई किन्तु बजट रू0 700/–लाख के सापेक्ष लगभग 25% कम आय प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि नगर निगम का कार्यक्षेत्र बढ़ा है एवं विज्ञापन का दायरा विस्तृत है। अतः इस मद में कई गुना वृद्धि सम्भव है।

3–शीर्षक संख्या क 2–17 (यूजर चार्जेज) के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 390.13 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 249.62 लाख की आय प्राप्त हुयी जो लगभग 36% कम है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में यूजर चार्जेज का उल्लेख होने के कारण प्राविधानित बजट की आय प्राप्ति हेतु अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।

4–शीर्षक संख्या क 2–22 (रोड कटिंग) प्राविधानित बजट रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष रू0 424.78 लाख की आय प्राप्त हुई। यह अत्यन्त ही निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। इससे प्रतीत होता है कि या तो लखनऊ शहर में रोड कटिंग नाम मात्र की हुई अथवा रोड कटिंग से आय प्राप्त करने के समुचित प्रयास नहीं किये गये।

5–शीर्षक संख्या 2–23 (विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के योजना हस्तान्तरण एवं अन्य से आय) प्राविधानित बजट रू0 200.00 लाख के सापेक्ष प्राप्त आय का विवरण अनुपलब्ध है।

6–शीर्षक संख्या 7–क (राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत शासकीय अंशदान) प्राविधानित बजट रू0 42,500.00 लाख के सापेक्ष रू0 28,947.37 लाख मात्र प्राप्त

Scanned by CamScanner

हुए जबकि समान अवधि में पिछले वित्तीय वर्ष में रू0 32,751.84 लाख प्राप्त हुए थे। प्राविधानित बजट एवं पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना से भी कम आय प्राप्त होने का कारण अस्पष्ट है।

(ख) पूँजी लेखा

इस लेखे के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं अन्य स्रोतों द्वारा ऋण तथा अनुदान प्राप्त करने हेतु वर्ष 2014-15 बजट प्राविधान रू0 95,615.00 लाख का किया गया था किन्तु इसके विरूद्ध मात्र रू0 94848.59 लाख की प्राप्ति हुई।

व्यय पक्ष

(क) राजस्व लेखा

1-इस लेखे के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में रू0 74,220.05 लाख का प्राविधान किया गया था जबकि दिनांक 31.03.2015 तक वास्तविक व्यय केवल रू0 47,825.87 लाख किया गया। आय की समुचित वसूली एवं शासन से विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाली आय कम होने के कारण नये निर्माण कार्य, मरम्मत और अनुरक्षण, सड़क निर्माण, सफाई कार्य, अस्थायी प्रकाश व्यवस्था, शहरी निर्धनों के विकास हेतु आदि कार्यों का प्रभावित होना अवश्यम्भावी है। इसके अतिरिक्त जनसुरक्षा एवं जनसुविधाएँ जैसे चिकित्सा, सफाई, कल्याण मण्डप एवं मार्ग और सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, रोड कटिंग इत्यादि मदों में किये गये प्राविधान का समानुपातिक व्यय नहीं किया गया। शीर्ष संख्या-6 में शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2008 के पश्चात सेवा निवृत्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा पेंशन प्रदान किये जाने का आदेश शासन द्वारा किया गया है। अतः इस मद में अतिरिक्त व्यय में कमी अपेक्षित है।

(ख) पूँजी लेखा

1-शीर्ष संख्या-12 क के अन्तर्गत 13वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष मार्च, 2015 तक रू0 3275.22 लाख का व्यय किया गया। इसी प्रकार सांसद निधि के सापेक्ष रू0 287.14 लाख का व्यय किया गया।

2-नगरीय अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु माह मार्च, 2015 तक रू0 24406.55 लाख व्यय किया गया।

3-जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 25,000 लाख

Scanned by CamScanner

के सापेक्ष मार्च, 2015 तक रू0 25350.41 लाख का व्यय किया गया। इस प्रकार रू0 350.41 लाख का अतिरिक्त व्यय किस मद से किया गया, स्पष्ट न हो सका।

उल्लेखनीय है कि नगरीय अवस्थापना निधि एवं जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत किये गये व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अनेकों बार लिखे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया, फलस्वरूप उक्त व्यय का सत्यापन न किया जा सका।

4-रिवाल्विंग फण्ड के प्राविधानित बजट रू0 100.00 लाख के सापेक्ष कोई व्यय नहीं किया गया इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है।

5-डिपाजिट (सूद्रा) के प्राविधानित बजट रू0 32500.00 लाख के सापेक्ष मार्च, 2015 तक रू0 9060.09 लाख मात्र व्यय किये गये, अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण किये गये व्यय का सत्यापन न किया जा सका।

(ग) उच्चतर लेखा

उक्त लेखे में प्राविधानित बजट रू0 651.00 लाख के सापेक्ष मार्च, 2015 तक रू0 613.50 लाख का व्यय किया गया।

9-विशेष एवं साधारण आपत्तियाँ

नगर निगम निधि के आय एवं व्यय के लेखों एवं उपलब्ध सम्बद्ध अभिलेखों के परीक्षण के समय पायी गयी त्रुटियों, अनियमितताएँ एवं हानियों से महापौर/नगर आयुक्त/विभागाध्यक्ष/धनारी अधिकारियों को लेखा नियम 76 के अन्तर्गत विशेष एवं साधारण आपत्तियों से अवगत कराया गया। सम्बन्धित अधिकतर विभागों द्वारा आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में निर्धारित समय में न तो उनके उत्तर और न ही कोई अन्य प्रयास ही किये गये। इसके अतिरिक्त इसके पूर्व भी मासिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों में भी इनका उल्लेख किया जा चुका है।

10-नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का उल्लंघन

नगर निगम निधि के आय एवं व्यय से सम्बद्ध चालानों, रसीदों, व्यय प्रमाणकों तथा सम्भाव्य देयकों आदि के परीक्षण हेतु समय-समय पर विभागों को लेखा परीक्षण कार्यक्रम निर्गत किये गये तथा विभागीय अधिकारियों से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया गया। लेखा परीक्षण कार्यक्रम में निर्धारित तिथियों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर उन्हें बार-बार लिखा गया। यही नहीं, नगर आयुक्त को भी स्थिति से

Scanned by CamScanner

अवगत कराते हुए अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके उपरान्त भी उक्त अभिलेख अनुपलब्ध रहे। समस्त अभिलेख एवं आय-व्यय के लेखे उपलब्ध न कराये जाने के कारण अधिकांशतः अभिलेख लेखा परीक्षण किये बिना ही रह गये। आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में अनेक पत्र भी लिखे गये जिनका उल्लेख अग्रिम पृष्ठों पर किया गया है। इनके निराधारण के सन्दर्भ में पूर्णतः उपेक्षा बरती गई। अतः ऐसी दशा में अधिनियम की धारा 144(1) का प्रतिपालन न करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराना उचित प्रतीत होता है।

11- साधारण आपत्तियाँ एवं पत्र

लेखा विभाग

1-मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

वित्तीय वर्ष 2014-15 की सामान्य रोकड़बही व बैंक स्टेटमेन्ट के साथ अंतिम अवशेष की सूचना मुख्य नगर लेखा परीक्षक के समक्ष अब तक प्रस्तुत न किया जाना नगर निगम लेखा नियमावली के विपरीत एवं आपत्तिजनक है। जबकि इस सम्बन्ध में पूर्व में ही दिनांक 31.03.2015 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जा रहा है।

(सा0आ0सं0-04/15-16, दि0 29.04.15)

2-मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों एवं भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, माप-पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि नगर निगम हित के विपरीत एवं अनियमित है। पूर्व में द्वितीय चालित बिल का भुगतान प्रथम चालित बिल के सम्परीक्षा उपरान्त ही किया जाता था। अतः भुगतान किये जाने वाले चालित बिल का भुगतान इसके पूर्व के चालित बिलों के सम्परीक्षा के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित था, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

(पत्र सं0-02/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 12.05.15)

Scanned by CamScanner

3–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सामान्य रोकड़बही सम्परीक्षण हेतु तक उपलब्ध नहीं करायी गयी, फलस्वरूप सामान्य रोकड़बही का सम्परीक्षण (वित्तीय वर्ष 2015–16) प्रारम्भ न हो सका, जो कि लेखा नियमावली के नियम–75 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 की सामान्य रोकड़बही को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0–06 / 15–16, दि0 27.05.15)

4–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

माह जून, 2015 में तक सामान्य रोकड़बही परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। फलस्वरूप माह जून, 2015 में नगर निगम को प्राप्त आय एवं किये गये व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका।

सामान्य रोकड़बही को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 का स्पष्ट उल्लंघन है। सामान्य रोकड़बही समस्त व्यय प्रमाणकों सहित उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0–12 / 15–16, दिनांक 29.06.15)

5–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

सामान्य रोकड़बही परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

लेखा नियमावली के नियम–10(1) के अन्तर्गत प्रतिदिन सामान्य रोकड़बही सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों, चालानों एवं अन्य अभिलेखों के साथ परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(पत्र सं0–24 / 15–16 / मु0न0ले0प0, दि0 30.09.15)

Scanned by CamScanner

6–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या–4566ए/मार्च,15 द्वारा मे0 रजिया कंस्ट्रक्शन को चेक संख्या–088679 द्वारा रू0 827545/– (रू0 आठ लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ पैंतालीस मात्र) का भुगतान किया गया (दिनांक 31.03.2015), किन्तु उक्त भुगतान की प्रविष्टि सामान्य रोकड़बही पर अंकित नहीं पायी गयी, फलस्वरूप सेवा पुस्तिका के पृष्ठ संख्या–20 पर किये गये भुगतान का कुल योग त्रुटिपूर्ण हो गया एवं दिनांक 31 मार्च, 2015 का क्लोजिंग बैलेंस भी त्रुटिपूर्ण हो गया।

उक्त प्रविष्टि को अंकित न किये जाने से आर्थिक क्षति सम्भावित है, फलस्वरूप प्रकरण संज्ञान में लाया गया। कृत कार्यवाही से सम्परीक्षण विभाग को अवगत कराया जाना भी अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0–20/15–16, दि0 28.08.2015)

7–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

सामान्य रोकड़बही परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

लेखा नियमावली के नियम–10(1) के अन्तर्गत प्रतिदिन सामान्य रोकड़बही सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों, चालानों एवं अन्य अभिलेखों के साथ परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(पत्र सं0–38/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 30.10.15)

8–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

सामान्य रोकड़बही परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

लेखा नियमावली के नियम–10(1) के अन्तर्गत प्रतिदिन सामान्य रोकड़बही सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों, चालानों एवं अन्य अभिलेखों के साथ परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित थां।

(सा0आ0सं0–44/15–16, दि0 26.12.2015)

21.01.17

Scanned by CamScanner

9–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

वित्तीय वर्ष (2015–16) में सामान्य रोकड़बही सम्परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जबकि इस सम्बन्ध में पत्र संख्या–24/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 30.09.2015, पत्र संख्या–38/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 30.10.2015 एवं पत्र संख्या–44/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 28.12.2015 द्वारा सामान्य रोकड़बही एवं व्यय प्रमाणकों की माँग की जाती रही तथा व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया गया, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। फलस्वरूप सामान्य रोकड़बही का सम्परीक्षण न किया जा सका। सामान्य रोकड़बही का उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) एवं लेखा नियमावली के नियम (10) का स्पष्ट उल्लंघन है।

(सा0आ0सं0–25/15–16, दिनांक 29.03.2016)

जलकल विभाग

1–महाप्रबन्धक,जलकल विभाग,

जलकल विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि आय व्यय का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र सं0–19/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 29.09.2015)

2–महाप्रबन्धक,जलकल विभाग,

जलकल विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि आय व्यय का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र सं0–29/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 29.10.2015)

Scanned by CamScanner

3–महाप्रबन्धक,जलकल विभाग,

जलकल विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि आय व्यय का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र स0–48/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 28.12.2015)

अभियन्त्रण विभाग

1–मुख्य अभियन्ता,

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों एवं भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, माप–पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि नगर निगम हित के विपरीत एवं अनियमित है। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि द्वितीय चालित बिल का भुगतान प्रथम चालित बिल की सम्परीक्षा उपरान्त ही किया जाता था। अतः भुगतान किये जाने वाले चालित बिल का भुगतान इसके पूर्व के चालित बिलों की सम्परीक्षा के उपरान्त ही किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (अभियन्त्रण विभाग) द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा नियमावली के नियम–75 के अन्तर्गत जैसे ही भुगतान किये जायें, सम्परीक्षा कराये जाने का आदेश विभागीय स्तर पर अपेक्षित है।

(पत्र सं0–03/15–16, दि0 12.05.15)

2–नगर अभियन्ता(सा0) जोन–3,

सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या–4066/मार्च, 2015 द्वारा रू0 8,50,239/–(रू0 आठ लाख पचास हजार दो सौ उन्तालीस मात्र) का भुगतान मे0 ए.ए. कान्स्ट्रेशन को किया गया। उक्त भुगतान शंकर पुरवा प्रथम वार्ड के अबरार नगर में सलीम बेग के मकान के पास सड़क व नाली के निर्माण हेतु किया गया, किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली, माप पुस्तिका (एम0बी0) सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन न किया जा सका।

उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली, माप पुस्तिका का उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि किये गये भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

(सा0आ0सं0–15/15–16, दिनांक 28.07.15)

21.6.17

Scanned by CamScanner

3–नगर अभियन्ता (सा0) जोन–4,

सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या–4078 / मार्च, 2015 द्वारा रू0 1,59,524 / –(रू0 एक लाख उनसठ हजार पाँच सौ चौबीस मात्र) का भुगतान मे0 नारायन इण्टरप्राइजेज को किया गया। उक्त भुगतान राजीव गाँधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विराट खण्ड–2 में स्थित पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु किया गया किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली, माप पुस्तिका सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन न किया जा सका।

अतः उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली एवं माप पुस्तिका का उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि किये गये भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

(सा0आ0सं0–16 / 15–16, दिनांक 29.07.15)

4–नगर अभियन्ता जोन–1,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–1 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, माप–पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु माँग की गयी थी, किन्तु तक उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।अतः उक्त पत्रावलियों यथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0–17 / 15–16 / मु0न0ले0प0, दि0 28.09.2015)

5–नगर अभियन्ता जोन–2,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–2 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, माप–पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु माँगें की गयी थी, किन्तु अद्यतन तिथि तक उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त पत्रावलियाँ यथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0–22 / 15–16 / मु0न0ले0प0, दि0 30.09.2015

Scanned by CamScanner

6-नगर अभियन्ता जोन-5,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जोन-5 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, माप-पुस्तिकाएँ एवं जगात्त रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु माँग की गयी थी, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उक्त पत्रावलियाँ यथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0-21/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 29.09.2015)

7-मुख्य अभियन्ता,

सामान्य रोकडबही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या-4487/मार्च,15, 4540/मार्च,15 एवं 4547/मार्च,15 द्वारा क्रमशः रू0 634221/- एवं रू0 512577/- का भुगतान मे0 अक्षय ट्रेडर्स, मे0 शान्ती ट्रेडर्स एवं मे0 अक्षय ट्रेडर्स क्रमशः को टाइल्स, नाली निर्माण एवं इण्टरलाकिंग कार्य हेतु किया गया, किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, माप पुस्तिकायें (क्रम सं0-27145,16817 एवं 6941) सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन न किया जा सका।

अतः उक्त भुगतानों से सम्बन्धित पत्रावलियों, माप पुस्तिकायें उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था, ताकि किये गये भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

(सा0आ0सं0-21/15-16, दि0 31.08.2015)

Scanned by CamScanner

8–नगर अभियन्ता जोन–1,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–1 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों, माप–पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु माँग की गयी थी, किन्तु अद्यतन तिथि तक उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त अभिलेखों की लिखित रूप से माँग करने के पश्चात भी कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः उक्त पत्रावलियों यथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0–34/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 29.10.2015)

9–नगर अभियन्ता जोन–1,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–1 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों, माप–पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु माँग की गयी थी, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त अभिलेखों की लिखित रूप से माँग करने के पश्चात् भी कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः उक्त पत्रावलियों यथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0–47/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 28.12.201)

10–नगर अभियन्ता जोन–2,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–2 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों, माप–पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु माँग की गयी, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त अभिलेखों की लिखित रूप से माँग करने के पश्चात भी कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

Scanned by CamScanner

अतः उक्त पत्रावलियों यथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0–43/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 22.12.2015)

11–नगर अभियन्ता जोन–2.

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–2 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों, माप–पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु मांगें की गयी, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त अभिलेखों की लिखित रूप से मॉग करने के पश्चात भी कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः उक्त पत्रावलियों यथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0–32/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 28.10.2015)

12–नगर अभियन्ता जोन–5.

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–5 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों, माप–पुस्तिकाएँ एवं जमानत रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु मॉग की गयी, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उक्त पत्रावलियों यथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0–31/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 28.10.2015)

21.01.17

Scanned by CamScanner

13–नगर अभियन्ता जोन–5.

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–5 के अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों, माप–पुस्तिकाएं एवं जमानत रजिस्टर की सम्परीक्षा हेतु मांग की गयी, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त अभिलेखों की लिखित रूप से मांग करने के पश्चात भी कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः उक्त पत्रावलियों तथा शीघ्र परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

(पत्र सं0 42/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 22.12.2015)

जोन

1–जोनल अधिकारी, जोन–1.

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–1 के गृहकर/व्यवसायिक कर से सम्बन्धित पत्रावलियों, मॉग एवं समाहरण पंजी, विभागीय रोकड़बही तथा अन्य वसूली से सम्बन्धित प्रपत्र अब तक सम्परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये, जबकि इस सम्बन्ध में पत्र संख्या–20/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 29.09.2015, पत्र संख्या–33/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 28.10.2015 एवं पत्र संख्या–46/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 26.12.2015 द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों की मॉग की जाती रही एवं व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया गया, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल प्राप्त आय नगर निगम कोष में जमा की गयी अथवा नहीं, सम्परीक्षा में स्पष्ट न हो सका। अभिलेखों का उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

(सा0आ0सं0–24/15–16, दिनांक 28.03.2016)

21.01.17

Scanned by CamScanner

2–उप नगर आयुक्त/जोनल अधिकारी जोन–1.

वित्तीय वर्ष 2013–14 जोन–1 की सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीः–

(1) सामान्य रोकड़बही के प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों की संख्या सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गयी है।

(2) दिनांक 26.08.2013 से प्रारम्भ जोन–1 की सामान्य रोकड़बही के पृष्ठ संख्या–84, 90 एवं 97 सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये गये, फलस्वरूप उक्त पृष्ठों पर अंकित प्राप्त आय का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(3) सामान्य रोकड़बही के अधिकांश पृष्ठों पर कोषागार में जमा की गयी धनराशि से सम्बन्धित चालान संख्या अंकित नहीं है।

उक्त आपत्तियाँ निरस्तरण हेतु संज्ञान में लायी गयीं। कृत कार्यवाही से सम्परीक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0–7/15–16, दिनांक 29.05.15)

3–जोनल अधिकारी जोन–1.

वित्तीय वर्ष 2014–15 की जोन–1 की सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीः–

(1) दिनांक 26.05.2014 से प्रारम्भ जोन–1 की सामान्य रोकड़बही के पृष्ठ संख्या–68, 92, 114, 115, 116, 144 एवं 135 सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये गये, फलस्वरूप उक्त पृष्ठों पर अंकित प्राप्त कुल आय का सत्यापन न किया जा सका।

(2) सामान्य रोकड़बही के अधिकांश पृष्ठों पर कोषागार में जमा की गयी धनराशि से सम्बन्धित चालान संख्या अंकित नहीं है।

(3) सामान्य रोकड़बही के प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों की संख्या सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गयी है।

उक्त आपत्तियों का निस्तारण कराया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0–8/15–16, दिनांक 29.05.15)

Scanned by CamScanner

4-जोनल अधिकारी जोन-1

जोन-1 के समस्त वार्डों के वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवासीय, व्यवसायिक भवनों के कर निर्धारण से सम्बन्धित पत्रावली, डिमाण्ड रजिस्टर, ए0एल0 रजिस्टर इत्यादि अभिलेखों को पूर्व में लिखित व मौखिक रूप से मॉग की गयी परन्तु वांछित अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये, जो कि नगर निगम अधिनियम की धारा-144(1) एवं लेखा नियमावली के नियम-75(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। अभिलेखों के उपलब्ध न कराये जाने से आर्थिक क्षति सम्भावित है।

अतः वित्तीय वर्ष 2015 से आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के कर निर्धारण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(स0आ0सं0-17/15-16, दिनांक 31.07.15)

5-जोनल अधिकारी, जोन-1,

जोन-1 के व्यवसायिक भवनों के कर निर्धारण से सम्बन्धित पत्रावलियों, डिमान्ड कलेक्शन रजिस्टर इत्यादि वार्ड वार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित से प्राप्त आय की सम्परीक्षा की जा सके। लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद भी अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उपरिलिखित समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(पत्र सं0-20/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 29.09.2015)

6-जोनल अधिकारी, जोन-1,

जोन-1 के व्यवसायिक भवनों के कर निर्धारण से सम्बन्धित पत्रावलियों, डिमान्ड कलेक्शन रजिस्टर इत्यादि वार्ड वार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित से प्राप्त आय की सम्परीक्षा की जा सके। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखित एवं मौखिक अनुरोध भी किया गया था किन्तु कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उपरिलिखित समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(पत्र सं0-33/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 28.10.2015)

31.01.19

Scanned by CamScanner

7–जोनल अधिकारी जोन–1,

जोन–1 के व्यवसायिक भवनों के कर निर्धारण से सम्बन्धित पत्रावलियाँ,
डिमाण्ड कलेक्शन रजिस्टर इत्यादि वार्डवार सम्परीक्षण कार्यालय में उपलब्ध कराया
जाना अपेक्षित था ताकि सम्बन्धित से प्राप्त आय की सम्परीक्षा की जा सके।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखित एवं
मौखिक अनुरोध भी किया गया था किन्तु कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध
नहीं कराये गये। अतः उपरिलिखित समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया
जाना अपेक्षित था।

(पत्र सं0–46/15–16/मु0न0ले0प0, दि0 28.12.2015)

8–जोनल अधिकारी, जोन–1,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जोन–1 के गृहकर/व्यवसायिक कर से सम्बन्धित
पत्रावलियाँ, माँग एवं संग्रहण पंजी, विभागीय रोकड़बही तथा अन्य वसूली से
सम्बन्धित प्रपत्र सम्परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये, जबकि इस सम्बन्ध में पत्र
संख्या–20/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 29.09.2015, पत्र संख्या–33/2015
–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 28.10.2015 एवं पत्र संख्या–46/2015–16/
मु0न0ले0प0, दिनांक 28.12.2015 द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों की माँग की जाती रही
एवं व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया गया, किन्तु उक्त अभिलेख सम्परीक्षा हेतु
उपलब्ध नहीं कराये गये। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल प्राप्त आय नगर
निगम कोष में जमा की गयी अथवा नहीं, सम्परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका।
अभिलेखों का उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) का
स्पष्ट उल्लंघन है।

(सा0आ0सं0–24/15–16, दिनांक 28.03.2016)

Scanned by CamScanner

9–जोनल अधिकारी, जोन–2,

चालक अनुज्ञा सम्बन्धी रोकड़बही के सम्परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी:–

(1) रोकड़बही के पृष्ठ संख्या–1–34 तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बन्द किये गये।

(2) पिछले वित्तीय वर्ष में चालक अनुज्ञा से प्राप्त कुल धनराशि का वर्षवार ब्योरा उपलब्ध न होने से वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं पिछले वित्तीय वर्ष से प्राप्त कुल आय की तुलना न की जा सकी।

(सा0आ0सं0–27 / 15–16, दिनांक 30.03.2016)

10–जोनल अधिकारी जोन–5,

जोन–5 की अनुज्ञप्ति विभाग की विभागीय रोकड़बही के सम्परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी:–

(1) विभागीय रोकड़बही के अनेक पृष्ठों पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

(2) विगत चार वर्षों से एक ही विभागीय रोकड़बही उपयोग में लायी जा रही है, जिसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुनः उपभोग की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।

(3) रोकड़बही के प्रारम्भ में समस्त पृष्ठ संख्यायें सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गयी है। उक्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–11 / 15–16, दिनांक 27.06.15)

11–जोनल अधिकारी, जोन–5,

चालक अनुज्ञा सम्बन्धी रोकड़बही के सम्परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी:–

(1) वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त आय कुल 10 दिवसों में ही अंकित है (दिनांक 22.07.2014, दिनांक 04.08.2014, दिनांक 28.08.2014, दिनांक 03.12.2014, दिनांक 23.04.2014, दिनांक 21.01.2015, दिनांक 06.02.2015, दिनांक 02.03.2015, दिनांक 30.03.2015 एवं दिनांक 31.03.2015)। यह स्पष्ट न हो सका कि पूरे वित्तीय वर्ष में

Scanned by CamScanner

मात्र 10 दिन ही वास्तविक आय प्राप्त हुई अथवा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय कुल 10 दिवसों में ही अंकित की गयी।

(2) पिछले वित्तीय वर्षों की रोकडबही बन्द नहीं की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं करायी गयी।

(3) वित्तीय वर्ष के अंतिम पृष्ठ पर वर्गवार विवरण उपलब्ध न होने से पिछले एवं वर्तमान वित्तीय वर्षों में प्राप्त आय की तुलना न की जा सकी।

(सा0आ0सं0–28/15–16, दिनांक 30.03.2016)

12–जोनल अधिकारी जोन–5,

वित्तीय वर्ष (2014–15) के अनुज्ञप्ति विभाग (जोन–5) की रोकडबही के सम्परीक्षण में पाया गया कि उक्त वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्ति से प्राप्त आय का मात्र 10 दिनों में ही नगर निगम कोष में जमा किया गया (दिनांक 22.07.14, 04.08.14, 28.08.14, 03.12.14, 23.09.14, 21.01.15, 06.02.15, 02.03.15 एवं 31.03.15) सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में मात्र 10 दिन ही आय प्राप्त की गयी अथवा प्राप्त आय को एकत्र कर माह में एक बार कोषालय में जमा किया गया, उक्त को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–10/15–16, दिनांक 26.06.15)

13–नगर आयुक्त,

पत्र संख्या–75/मु0वि0/लिपिक, दिनांक 08.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में जोन–6 से प्राप्त अभिलेखों के गहन परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:–

(1) यह कि श्री जमील, लिपिक द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के सम्बन्धित कम्प्यूटर प्रपत्र को निरस्त किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता थी। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति द्वारा ही प्रपत्र–2 को निरस्त कराया जाना था, किन्तु उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप गबन हुआ।

(2) यह कि वर्तमान में जोन–6 में माँग एवं समाहरण पंजी (डिमान्ड कलेक्शन रजिस्टर) नहीं बनाये गये जो कि एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जबकि इस आशय का पूर्व में ही विशेष आपत्ति संख्या–03/13–14, दिनांक 28.01.14 को सम्परीक्षा द्वारा आपत्ति की गयी थी। उक्त पंजी के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि किसी

Scanned by CamScanner

गृहस्वामी द्वारा पिछले वित्तीय वर्षों में क्रमशः कितना मूल धन व ब्याज किस दर से
गृहकर जमा किया गया। भवन के वार्षिक मूल्य (ए0आर0वी0) मानों एवं समाकरण
पंजी में भी अंकित की जाती है जिसके अभाव में स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसी
भवन का वार्षिक मूल्य कितना है एवं यदि कम किया गया है तो कम किये जाने का
आधार क्या है?

(3) यह कि गृहकर जमा करने वाले कम्प्यूटर के साफ्टवेयर में भी तकनीकी
कमियाँ दृष्टिगत हुई। गृहकर जमा करने के पश्चात एक रसीद भवन स्वामी को दी
जाती है एवं शेष काउन्टर जोन में रखा जाता है। रसीद को भवन स्वामी को देने के
पश्चात् पुनः उसी भवन के सापेक्ष प्रिन्ट दबाने पर वही रसीद पुनः निकल आती है
जिसे निरस्त कर भवन स्वामी द्वारा जमा की गयी धनराशि निगम कोष में न जमा
कर स्वयं व्यवहृत किये जाने एवं गबन की आशंका बनी रहती है।

इसी प्रकार गृहकर जमा करने के पश्चात् भी उस वित्तीय वर्ष में बिल पुनः
प्राप्त करने पर अवशेष धनराशि उतनी ही प्रदर्शित होती है जितनी धनराशि का
गृहकर जमा किया है। यह अवशेष धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में ही समाप्त होती
है। अतः कम्प्यूटर साफ्टवेयर में सुधार हेतु तकनीकी जाँच कराया जाना अपेक्षित है
ताकि एक बार किसी वित्तीय वर्ष में गृहकर जमा करने के पश्चात् पुनः प्राप्त बिल में
उक्त वित्तीय वर्ष का अवशेष शून्य हो।

(4) यह कि वार्षिक मूल्यांकन (ए0आर0वी0) में परिवर्तन सामान्यतः कम्प्यूटर पर
लिपिकों द्वारा ही किया जाता है जिससे वित्तीय अनियमितता की घोर सम्भावना बनी
रहती है। अतः ए0आर0वी0 में संशोधन हेतु पासवर्ड सक्षम प्राधिकारी के नियन्त्रण में
होना आवश्यक है जिससे वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे। उल्लेखनीय है
कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी विशेष आपत्ति संख्या-04/13-14, दिनांक 03.02.2014
को आपत्ति उठाई जा चुकी है।

(5) अभिलेखों के परीक्षण करने में पाया गया कि प्रपत्र संख्या-2 सामान्यतः
कम्प्यूटर पर ही वर्तमान में पूर्ण की जा रही है जबकि मैनयुअल प्रपत्र संख्या-2 पूर्ण
नहीं की जा रही है।

(6) यह कि लेखा नियमावली के नियम-11 के अनुसार विभागीय रोकडबही तथा
सामान्य रोकडबही का मिलान प्रति सप्ताह लेखाधिकारी द्वारा किया जाना प्राप्त नहीं
हुआ है। जबकि लेखाधिकारी द्वारा जाँच पडताल किये जाने के पश्चात् विभागीय
रोकडबही पर हस्ताक्षर किया जाता है। जोन-6 में विभागीय रोकडबही के परीक्षण में

Scanned by CamScanner

लेखाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि जोनों द्वारा प्राप्त वास्तविक आय नगर निगम कोष में प्रतिदिन जमा होती है अथवा नहीं।

(7) यह कि लेखा नियमावली के नियम-75 के प्राविधानानुसार "समस्त प्राप्तियों की जैसी ही सामान्य रोकड़बही में दर्ज किये जायें, सम्परीक्षा की जायेगी।" का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। गृहकर वसूली से सम्बन्धित प्रपत्र संख्या-2 का सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा गृहकर जमा करने के पश्चात प्रतिदिन सम्परीक्षण नहीं कराया जाता है एवं प्रपत्र संख्या-2 पूर्ण होने के पश्चात बिना सम्परीक्षण के ही रिकार्ड में जमा कर दिया जाता है। सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा लेखा नियमावली के नियम-75 का उल्लंघन करने के पश्चात भी सम्बन्धित जोनल अधिकारियों द्वारा उन्हें सेवा निवृत्ति पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इस प्रकार प्रपत्र संख्या-2 का परीक्षण न कराये जाने से गबन की प्रबल आशंका बनी रहती है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त प्रकार के गबन प्रकाश में आते है।

सक्षम अधिकारी द्वारा गृहकर वसूली से सम्बन्धित प्रपत्र-2 का आवंटन/निरस्तीकरण न किया जाना, माँग एवं समाहरण पंजी का न बनाया जाना, कम्प्यूटर की तकनीकी कमियों को दूर न किया जाना, वार्षिक मूल्यांकन को कम किये जाने का कारण स्पष्ट न किया जाना, कम्प्यूटर पासवर्ड सक्षम अधिकारी के पास संरक्षित न किया जाना, विभागीय रोकड़बही को सामान्य रोकड़बही से प्रति सप्ताह लेखाधिकारी से सत्यापित न कराया जाना, गृहकर वसूली से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के वसूली से सम्बन्धित प्रपत्रों को बिना सम्परीक्षा कराये जमा किया जाना तथा सेवा निवृत्ति के समय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना उक्त प्रकार की अनियमितता/गबन के लिए प्रमुख रूप से सम्परीक्षा में उत्तरदायी कारक पाये गये।

अतः उक्त कारकों (व्यवस्था में खामियों) को दूर कये जाने हेतु नगर निगम हित में ध्यान आकृष्ट किया जाता है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो।

(पत्र सं0-6/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 02.08.15)

स्वास्थ्य विभाग

1—नगर स्वास्थ्य अधिकारी,

वित्तीय वर्ष 2015—16 के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य स्टोर से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अन्य अभिलेख परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि समस्त अभिलेखों का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र सं0—16 / 15—16 / मु0न0ले0प0, दि0 28.08.2015)

2—नगर स्वास्थ्य अधिकारी,

वित्तीय वर्ष 2015—16 के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य स्टोर से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अन्य अभिलेख परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि समस्त अभिलेखों का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र सं0—37 / 15—16 / मु0न0ले0प0, दि0 30.10.2015)

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी,

वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अन्य अभिलेख परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि समस्त अभिलेखों का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र सं0—45 / 15—16 / मु0न0ले0प0, दिनांक 26.12.2015)

4—नगर स्वास्थ्य अधिकारी,

चौपड़ अस्पताल, नवल किशोर रोड, लखनऊ के अभिलेखों का सम्परीक्षण करने पर निम्न आपत्तियाँ दृष्टिगत हुईं—

(1) रोगी रजिस्टर में पृष्ठ संख्या अंकित कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं करायी गयी।

(2) दिनांक 30.06.2015 को अंकित प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गयी है।

(3) स्टॉक बुक में पृष्ठ संख्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये गये।

उक्त को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0—26 / 15—16, दिनांक 30.03.2016)

Scanned by CamScanner

केयर टेकर

1-केयर टेकर.

वित्तीय वर्ष 2015-16 में केयर टेकर द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ सम्परीक्षा में अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि समस्त अभिलेखों का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र सं0-18/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 28.09.2015)

2-केयर टेकर.

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ सम्परीक्षा में अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि समस्त अभिलेखों का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र सं0-36/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 30.10.2015)

3-केयर टेकर.

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं पत्रावलियाँ सम्परीक्षा में अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि समस्त अभिलेखों का सम्परीक्षण किया जा सके।

(पत्र सं0-49/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 28.12.2015)

21.01.17

Scanned by CamScanner

रेन्ट विभाग

1-उप नगर आयुक्त (रेन्ट)

वित्तीय वर्ष 2014-15 में रेन्ट विभाग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध नहीं कराये गये। अभिलेखों को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा-144(1) एवं लेखा नियमावली के नियम 75 का उल्लंघन है।

रेन्ट विभाग के अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराये जाने से आर्थिक क्षति सम्भावित है। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0स0-01/15-16, दि0 25.04.15)

2-प्रभारी अधिकारी (रेन्ट)

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2015-16 के साथ प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय के विवरण में मद संख्या-2-1 में वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.12.2014 तक भूमि का किराया (लीज रेन्ट) से नगर निगम को रू0 15.66 लाख की आय रेन्ट विभाग द्वारा दर्शायी गयी है।

उक्त भूमि का किराया (लीज रेन्ट) से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अविलम्ब परीक्षण हेतु सम्परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाना अपेक्षित था।

(पत्रसं0-04/15-16, दि0 12.05.15)

कैटिल कैचिंग विभाग

1-पशु चिकित्साधिकारी

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैटिल कैचिंग विभाग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण विभाग में अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराये गये। अभिलेखों को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा-144(1) एवं लेखा नियमावली के नियम-75 का उल्लंघन है।

21.07.17

Scanned by CamScanner

कैटिल कैचिंग विभाग के अभिलेखों को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराये जाने से आर्थिक क्षति सम्भावित है। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(रा0आ0स0-02/15-16, दि0 27.04.15)

2-पशु चिकित्साधिकारी

मोतीझील स्लाटर हाउस की विभागीय रोकड़बही के सम्परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीः-

(1) पोस्टमार्टम रजिस्टर में पशु चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, फलस्वरूप प्राप्त आय की सत्यता की जाँच न की जा सकी।

(2) विभागीय रोकड़बही (कैटिल कैचिंग विभाग) में पशु चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

(3) दिनांक 25.09.2014 को टिकट नाम मात्र मूल्य लेखा से टिकटों की निकासी का मूल्य रू0 900/-अंकित है, जबकि उक्त तिथि को चालान द्वारा नगर निगम कोषालय में रू0 850/-जमा किया गया है। उक्त विसंगति का आधार स्पष्ट नहीं है। उक्त आपत्तियों का निस्तारण कर सम्परीक्षण विभाग को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(रा0आ0स0-9/15-16, दिनांक 25.06.15)

3-पशु चिकित्साधिकारी

सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या-4086/अप्रैल 2015 द्वारा रू0 4,99,695/-(रू0 चार लाख निन्यानवे हजार छः सौ पन्चानवे मात्र) का भुगतान शिवम सिक्यूरिटी गार्ड सर्विस को किया गया है। उक्त भुगतान जीव आश्रय गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों को माह फरवरी, 2015 में रू0 175/- प्रतिदिन की दर से किया गया, किन्तु उक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

Scanned by CamScanner

अतः उक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था, ताकि किये गये भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

(सा0आ0सं0-13/15-16, दिनांक 27.07.15)

4-पशु चिकित्साधिकारी,

सामान्य रोकडबही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या-4087/मार्च, 2015 द्वारा रू0 68,105/-का भुगतान शिवम स्क्यूरिटी गार्ड सर्विस को किया गया। उक्त भुगतान जीव आश्रय गौशाला, कान्हा उपवन में कार्यरत कुल 12 कर्मचारियों को माह फरवरी, 2015 के वेतन (रू0 175/-प्रतिदिन की दर) हेतु किया गया है, किन्तु उक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन न किया जा सका।

अतः उक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था, ताकि किये गये भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

(सा0आ0सं0-14/15-16, दिनांक 28.07.15)

प्रचार विभाग

1-प्रभारी अधिकारी (प्रचार),

प्रचार विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2015-16 के डिमाण्ड एवं कलेक्शन रजिस्टर तथा उससे सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अन्य अभिलेख परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि प्रचार विभाग द्वारा प्राप्त आय का सम्परीक्षण किया जा सके। पूर्व में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की आय सम्बन्धी समस्त अभिलेख पत्र लिखने के पश्चात भी सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये थे फलस्वरूप उक्त वित्तीय वर्षों में प्रचार विभाग द्वारा प्राप्त आय का सम्परीक्षण नहीं किया जा सका था।

अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रचार विभाग द्वारा प्राप्त आय सम्बन्धी समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(पत्र सं0-23/15-16/मु0न0लेप0, दि0 30.09.2015)

Scanned by CamScanner

2-प्रभारी अधिकारी (प्रचार).

प्रचार विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2015-16 के डिमाण्ड एवं कलेक्शन रजिस्टर तथा उससे सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं अन्य अभिलेख परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि प्रचार विभाग द्वारा प्राप्त आय का सम्परीक्षण किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के आय सम्बन्धी समस्त अभिलेख पत्र लिखने के पश्चात् भी सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये फलस्वरूप उक्त वित्तीय वर्षों में प्रचार विभाग द्वारा प्राप्त आय का सम्परीक्षण नहीं किया जा सका था। अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रचार विभाग द्वारा प्राप्त आय सम्बन्धी समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(पत्र सं0-27/15-16/मु0न0ले0प0, दि0 15.10.2015)

मार्ग प्रकाश विभाग

1-अधिशासी अभियन्ता.

वित्तीय वर्ष 2015-15 में मार्ग प्रकाश से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सम्परीक्षण विभाग में उपलब्ध नहीं कराये गये। अभिलेखों को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा-144(1) एवं लेखा नियमावली के नियम के 75 का उल्लंघन है।

मार्ग प्रकाश के आय-व्यय सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराये जाने से आर्थिक क्षति सम्भावित है। अतः वित्तीय वर्ष 2014-16 से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0-05/2015-16, दि0 30.04.15)

2-अधिशासी अभियन्ता(वि0/यॉ0).

सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में पाया गया कि मार्ग प्रकाश विभाग में कार्यरत कुल 08 कर्मचारियों को वाउचर संख्या-4507/मार्च, 2015 के वेतन हेतु किया गया। उक्त कर्मचारी श्री अब्दुल वहीद, श्री मो0 शफीक, श्री शील कुमार, श्री राम

Scanned by CamScanner

औतार, श्री आशीष कुमार सिन्हा, श्री दिनेश कुमार, श्री अशोक कुमार गोयल एवं श्री सूर्य विक्रम सिंह क्रमशः की व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिकायें संलग्न नहीं पायी गयी, फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

उक्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि प्रतिमाह किये जा रहे वेतन भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

(सा0आ0सं0-19/15-16, दि0 28.08.2015)

3-अधिशासी अभियन्ता(वि0/यॉ0).

सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या-4506/मार्च 15 द्वारा रू0 68357/-(रू0 अडसठ हजार तीन सौ सत्तायन मात्र) का भुगतान आर0 आर0 विभाग में कार्यरत कुल 03 कर्मचारियों को वेतन हेतु किया गया। उक्त कर्मचारियों श्री राकेश बहादुर सिंह, श्री मो0 शफीक, श्री मन बहादुर थापा क्रमशः की व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिकायें संलग्न नहीं पायी गयी, फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन न किया जा सका।

उक्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि प्रतिमाह किये जा रहे वेतन भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

(सा0आ0सं0-19/15-16, दि0 28.08.2015)

उद्यान विभाग

1-उद्यान अधीक्षक.

वित्तीय वर्ष 2014-15 में उद्यान विभाग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध नहीं कराये गये। अभिलेखों को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) एवं लेखा नियमावली के नियम 75 का उल्लंघन है।

उद्यान विभाग के अभिलेखों को सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराये जाने से आर्थिक क्षति सम्भावित है। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0-03/15-16, दि0 28.04.15)

Scanned by CamScanner

2-उद्यान अधीक्षक,

सामान्य रोकड़बही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या-4501/मार्च,15 एवं 4502/मार्च,15 द्वारा रू0 33923/- एवं रू0 70423/- क्रमशः का भुगतान मे0 न्यू आकांक्षा इण्टरप्राइजेज का किया गया। उक्त भुगतान 4/254 विवेक खण्ड, गोमतीनगर के सामने पार्क विकास एवं 1/17 विवेक खण्ड गोमतीनगर के सामने पार्क विकास क्रमशः हेतु किया गया किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियाँ सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन न किया जा सका।

अतः उक्त किये गये भुगतान के सत्यापन हेतु सम्बन्धित पत्रावलियाँ सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

(सा0आ0सं0-22/15-16, दि0 31.08.2015)

3-उद्यान अधीक्षक,

सामान्य रोकेडबही के सम्परीक्षण में पाया गया कि वाउचर सं0-4603/मार्च, 2015 द्वारा रू0 95,409/-(रू0 पंचानवे हजार चार सौ नौ मात्र) का भुगतान मे0 नारायन इण्टरप्राइजेज को ए-673 इन्दिरानगर के सामने पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु किया गया किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। फलस्वरूप किये गये भुगतान का सत्यापन न किया जा सका।

अतः उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था ताकि किये गये भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

(सा0आ0सं0-23/15-16, दि0 31.08.2015)

31.01.17

Scanned by CamScanner

12–

विशेष आपत्तियाँ

नगर आयुक्त,

वित्तीय वर्ष (2015–16) में जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ की कुल आय–व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों को लेखा परीक्षण हेतु पत्र संख्या क्रमशः 19/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 29.09.2015, पत्र सं0–35/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 29.10.2015 एवं पत्र सं0–48/2015–16/मु0न0ले0प0, दिनांक 28.12.2015 द्वारा माँग की गयी किन्तु सम्परीक्षा के समक्ष सम्परीक्षण हेतु कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित ज्येष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से महाप्रबन्धक जल–कल विभाग से सम्पर्क करने पर अभिलेख उपलब्ध कराने से मना कर दिया गया। सम्परीक्षण हेतु अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा–144(2) एवं लेखा नियमावली के नियम 75(2) का स्पष्ट उल्लंघन एवं आपत्तिजनक है।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उक्त प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया गया।

(वि0आ0सं0–01/15–16, दि0 30.03.2016)

21.01.17

Scanned by CamScanner

13-उपसंहार

प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षण द्वारा उठाई गयी विशेष एवं साधारण आपत्तियों को यथा स्थिति नगर प्रमुख/मुख्य नगर अधिकारी, सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकारियों को उनके निस्तारण तथा समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता रहा परन्तु अनुभव में यह आया कि लेखा परीक्षण की आपत्तियों के उत्तर प्रस्तुत करने तथा उनके निराकरण कराने के प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नितान्त उदासीन रहे और इसमें कोई रूचि नहीं दिखाई। ऐसी स्थिति में जबकि प्रत्येक माह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया जाता रहा। अनिर्णीत लेखा परीक्षण आपत्तियों की संख्या न केवल यथावत बनी रही अपितु उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 144(1) के उल्लंघन को रोकने के प्रति महापालिका प्रशासन द्वारा प्रभावशाली कार्यवाही नितान्त आवश्यक है जिससे विभागों द्वारा लेखा परीक्षण में वॉछित प्रलेखों की उपलब्धि हो एवं लेखा परीक्षण कार्य में बाधा न पडे तथा आय-व्यय के मदों की सम्परीक्षा की जा सके।

अन्त में नगर निगम प्रशासन को ऑडिट में उपरोक्त सहयोग प्रदान करने के लिए एवं लेखा परीक्षण विभाग के समस्त कर्मचारियों को विभागीय कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया जाता है।

दिनांक-21.01.2017

21.01.17

(राम प्रसाद)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

1

18019-1-17

नगर निगम, लखनऊ

प्रेषक,

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम
लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

114 (लेखा)/2017
8-1-17

संख्या: 51 /2016-17/मु०न०ले०प०

दिनांक 21-01-2017

विषय: वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम-77 के अन्तर्गत तैयार वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16 (कुल पृष्ठ 38 एवं सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित) आपके समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

1012 /2017

संलग्नक-यथोपरि।

(राम प्रसाद)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक

25-1-17

23-1-17

(... कुमार सिंह)
उप सचिव
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned by CamScanner